



केन्द्रीय विद्यालय संगठन / KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAI

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन / Under Ministry of Education, Govt. of Ind

क्षेत्रीय कार्यालय पटना / REGIONAL OFFICE PATNA,

पोस्ट लोहियानगर, कंकड़बाग / P.O.: Lohia Nagar, Kankarbagh

पटना- 800 020 / PATNA- 800 02

दूरभाष / Tel: 7070093670(DC), 7070093671(AC), 06122361831(AC)

Web site: ropatna.kvs.gov.in

E-mail: kvsropatna@yahoo.com, aoropatna@gmail.com

फा.28029/2020-21/केविसं पसं(प्रशा)/ 3892-349

दिनांक :18.06.2021

ई-मेल

कार्यालय आदेश

कोविड-19 महामारी के कारण केविसं के अनेकों कर्मचारियों का आसमयिक निधन हो गया है जिसके कारण परिवार के सदस्यों के जीवन यापन में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। परिवार जनों को हर संभव मदद पहुंचाने हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मु0), नई दिल्ली के पत्रांक संख्या 11029-9/2020-KVS(HQ)/Admn.-I दिनांक 07.06.2021 एवं दिनांक 14.06.2021 के आलोक में संभागीय स्तर पर निम्नलिखित अधिकारियों की एक समिति गठित की जाती है जो क्षेत्रीय कार्यालय, पटना एवं पटना संभाग अंतर्गत संचालित समस्त केन्द्रीय विद्यालय में कार्यरत मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के साथ संपर्क करेगी एवं आवश्यकतानुसार बैठक कर मृत केविसं कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को ससमय मदद करना सुनिश्चित करेगी:-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	पद नाम	मोबाईल नं0
01	श्रीमती सोमा घोष	सहायक आयुक्त केविसं, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	7091412837
02	श्री सतीश कुमार त्रिपाठी	प्रशासनिक अधिकारी केविसं, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	8111971178

समिति के सदस्यों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के गूगल ट्रेकर(Google tracker) में अद्यतन करने हेतु संयुक्त आयुक्त(प्रशासन), केविसं(मु0), नई दिल्ली को साप्ताहिक आधार पर प्रत्येक सोमवार को वस्तु स्थिति से अवगत करवाते रहेंगे।

भवदीय

आई. अरुण कुमार
(वी.ई. अरुण कुमार)
उपायुक्त 18/06/2021

वितरण:-

1. संबंधित अधिकारी को सूचनार्थ एवं आशयक कारवाई हेतु।
2. सहायक आयुक्त(प्रशा.), केविसं(मु0), नई दिल्ली को उनके पत्रांक दिनांक 14.06.2021 के आलोक सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्राचार्य, समस्त केन्द्रीय विद्यालय, पटना संभाग को इस आशय के साथ प्रेषित है कि इस कार्यालय आदेश को अपने-अपने विद्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. अनुभाग अधिकारी(प्रशा.), केविसं, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना को निर्देशित किया जाता है कि इस कार्यालय आदेश को क्षेत्रीय कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. अनुभाग अधिकारी(लेखा), केविसं, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।
6. गार्ड फाईल।